अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरूस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

क्रमांकः ARUSMA/प्रदेश/राज./2025/276–280 दिनांकः– 16.01.2026

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय/महोदया,
उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर।

श्रीमान् शासन सचिव,
वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् शासन सचिव,
कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित माँगों को बजट– 2026–2027 की बजट घोषणा में सम्मिलित किए जाने के संबंध में।

माननीय महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरूस्मा) के सदस्य मंत्रालयिक कर्मचारी, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान में कार्यरत है।** आदरणीय आपकी कर्मचारी हितैषी एवं सुशासन की नीतिवान सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष बजट जारी करने से पूर्व विभिन्न कर्मचारी संगठनों से यथोचित माँगों के संबंध में बजट पूर्व संवाद किया जाता है। संघ के द्वारा पूर्व में भी प्रेषित किए गए माँग पत्रों पर तुरंत प्रसंज्ञान लेना सराहनीय कदम है। **राज्य सरकार के नेतृत्व में समृद्धि का नया अध्याय रचा जा रहा है। अरूस्मा कर्मचारी संगठन राज्य सरकार के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है।**

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आगामी वित्त वर्ष– 2026–2027 का बजट प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक– 10.01.2026 तक बजट सुझाव भी आमंत्रित किए गए है। इसी क्रम में संघ का माँग पत्र निम्नानुसार उल्लेखित माँग के क्रम में आवश्यक कार्यवाही कर कार्मिक हित में बजट घोषणा में सम्मिलित करवाए जाने बाबत प्रेषित हैः–

1. राज्य सरकार द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन राजसेस सोसाइटी के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित 374 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों में परिवर्तित किए जाने के संबंध में गठित की गई **सोढाणी समिति के द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट को सार्वजनिक कर ऐसे समस्त राजसेस महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों में परिवर्तित किया जाए।**

2. **दिनांक– 31/अगस्त/2025 को सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक** में प्रदेश के समस्त राजसेस महाविद्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध RAJASTHAN CONTRACTUL HIRING TO CIVIL POST RULES- 2022 एवं राजसेस सोसाइटी नियम के अधीन संविदा आधार पर **कार्यालय लिपिक/OFFICE CLERK** की भर्ती की जाकर 05 वर्षों के लिए संविदा आधार निश्चित पारिश्रमिक/मानदेय पर लगाए जाने के निर्णय को समाप्त कर राजसेस महाविद्यालयों में मंत्रालयिक/लिपिकीय संवर्ग के लगभग स्वीकृत समस्त 1500 पदों को प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेहिता एवं कार्यकुशलता के मध्यनजर **कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान के मूल संवर्ग–राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा संवर्ग में सम्मिलित किया जाए एवं सीधी भर्ती, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति उपरांत पदस्थापन से रिक्त पदों को स्थाई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाए।**

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

3. कार्मिक हित में पदोन्नति वर्ष– 2026–2027 में पदोन्नति के लिए नियमानुसार आवश्यक सेवा अनुभव में **बिना किसी अतिरिक्त शर्त के 02 वर्ष का शिथिलन** प्रदान किया जाए। पूर्ववर्ती पदोन्नति वर्षों– 2023–2024, 2024–2025 एवं 2025–2026 में पदोन्नति वर्षों में सेवा अनुभव में शिथिलन का लाभ ले चुके कार्मिकों को पुनः 02 वर्ष के सेवा अनुभव में शिथिलन के लाभ से वंचित नहीं किया जाए।

4. प्रशासनिक ढांचें की रीढ समझे जाने वाले मंत्रालयिक/लिपिकीय संवर्ग के लिए **'समान कार्य समान वेतन' के सिद्धांत** की अनुपालना में मंत्रालयिक संवर्ग के द्वितीय पदोन्नति पद **'सहायक प्रशासनिक अधिकारी'** पे–मैट्रिक्स लेवल–10 (ग्रेड–पे–3600) के स्थान पर **पे–मैट्रिक्स लेवल–11 (ग्रेड–पे–4200)** किया जाए एवं तद्नुसार **उच्च पदोन्नति पदों के पे–मैट्रिक्स लेवल में यथा आवश्यक संशोधन** किए जाए।

5. कार्मिकों को ए.सी.पी. स्कीम के तहत वर्तमान में देय 9–18–27 वर्षों के तीन बारीय वित्तीय उन्नयन के लाभ में संशोधन करते हुए **8–16–24–32 वर्षों के तहत 04 बारीय वित्तीय उन्नयन** के लाभ के देयता की **ए.सी.पी. स्कीम** लागू की जाए।

6. कार्मिक हित में **पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी** बनाए जाने के लिए बहुप्रतीक्षित माँग के क्रम में राज्य सरकार की '**ई–गवर्नेंस** तथा **गुड–गवर्नेंस** के सिद्धांत' को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा **पदोन्नति प्रक्रिया ऑनलाईन** संपादित किए जाने के लिए **I-HRMS पोर्टल को बाध्यकारी रूप से लागू** किया जाए।

7. राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत **राजपत्रित उच्च पद** यथा– संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक अनुभव एवं दक्षता के क्रम में **सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम–03** के तहत **आहरण एवं वितरण अधिकारी के अधिकार** प्रदान किए जाने के संबंध में विस्तृत आदेश एवं दिशा–निर्देश प्रसारित कराए जाए।

8. मंत्रालयिक/लिपिकीय संवर्ग के कनिष्ठ–सहायक/लिपिक ग्रेड–।। पद की **शैक्षणिक योग्यता** अन्य संवर्गों के समान **स्नातक** किया जाए।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि कार्मिक हित में संघ की उपरोक्त माँग पर आवश्यक कार्यवाही कर वित्त वर्ष–2026–2027 के लिए आगामी प्रस्तावित बजट घोषणा में सम्मिलित करावें।

आपकी सकारात्मक कार्रवाही की प्रतीक्षा में।

दिनांकः– 16–01–2026

भवदीय

प्रकाश चन्द्र शर्मा
प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर